273

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या 2709 /III(1)/09–94(अधि०)/06
देहरादून, दिनांक 19 दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि० के कार्मिकों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रख्यापित "Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation (Engineering And General Services) Service Rules, 2008" एवं "Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation Service Rules (Engineering & General Services) (First/Second Amendment), 2009" में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर कर्नल (सेवानिवृत्त) **दिनेश कुमार कौशिक** को उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि० में **महाप्रबन्धक (सिविल)** के पद पर, एक मुश्त **वेतन ₹ 69,000.00 प्रतिमाह** की दर से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा कार्मिक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने की अवधि तक जो भी पहले हो, की अवधि के लिए,बशर्ते कि यह अस्थाई पद इससे पूर्व समाप्त न हो जाये निम्नांकित शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. निगम द्वारा नियमित चयन के समय उक्त तैनाती का लाभ दिए जाने हेतु कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक द्वारा किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
2. कर्नल (सेवानिवृत्त)दिनेश कुमार कौशिक को निगम द्वारा नियत मासिक एक मुश्त वेतन ₹ 69,000.00 (₹ उन्सठ हजार मात्र) एवं सामान्य यात्रा भत्ता (पदीय सामान्य अनुमन्यता श्रेणी अनुसार) के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होंगे, किन्तु शासकीय कर्तव्य–पालन के प्रदर्शन अनुरूप ही 5% वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।
3. कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक को वर्ष में 14 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अथवा अवकाश वेतन देय नहीं होगा।
4. कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक द्वारा अपना सम्पूर्ण समय उन्हें प्रदत्त कार्यों के लिए सुलभ कराते हुए ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन किया जायेगा जो उन्हें समुनेदेशित किए जायेंगे। साथ ही सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली सहित समय–समय पर विहित नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
5. कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक की तैनाती निम्नानुसार समाप्त की जा सकेगी:–

(एक) शासन द्वारा एक कलैण्डर माह की लिखित सूचना देकर किसी भी समय यदि शासन की राय में सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया हो।

क्रमश पृष्ठ–2 पर...

(दो) शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर शासन का समाधान हो जाता है कि वह अस्वस्थ हैं एवं अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक अयोग्य रहने की सम्भावना है।

(तीन) शासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि वह किसी प्राविधान अथवा किसी नियम की अवज्ञा या असंयम के दोषी पाये जाएं।

(चार) इस अनुबन्ध के अधीन तैनाती के दौरान किसी भी समय इनके द्वारा अथवा शासन द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना देकर, परन्तु इस प्रकार के नोटिस के बदले शासन द्वारा इनको अथवा इनके द्वारा शासन को एक माह के नियत वेतन के समतुल्य राशि का संदाय किया जायेगा।

6. कर्नल (सेवानिवृत्त)दिनेश कुमार कौशिक द्वारा तदर्थ/अस्थाई/नियमित चयन के लिए कोई मांग नहीं की जायेगी।

7. संविदा पर तैनाती के दौरान कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक अथवा इनके परिवार के प्रति किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर शासन जिम्मेदार नहीं होगा।

8. कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न वार्षिक लक्ष्यों एवं अन्य दायित्वों के परिपेक्ष्य में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से शासन को विलम्बतम 30 अप्रैल तक उपलब्ध करानी होगी।

9. कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक द्वारा अन्यत्र सेवायोजन हेतु आवेदन शासन के माध्यम/शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

10. कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक को शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु टेलीफोन, कम्प्यूटर जैसी सामान्य सुविधायें अनुमन्य करायी जायेगी।

11. अनुबन्ध अवधि के दौरान कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक द्वारा तैयार/प्राप्त किये गये अभिलेख निगम की सम्पत्ति होंगे।

12. कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक के द्वारा सभी कार्य उच्चस्तरीय व्यावसायिक मानक, नीति अनुरूप क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से सम्पादित किये जायेंगे।

13. कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक की लापरवाही, असावधानी आदि कारणों से निगम को होने वाली हानि/क्षति के लिये वे जिम्मेदार होंगे। ऐसी हानि/क्षति के आंकलन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा जो कि इनके ऊपर बाध्य होगा।

14. कोई भी विवाद देश के कानून से नियंत्रित होगा।

क्रमश पृष्ठ–3 पर...

15. किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिये इस कार्यालय ज्ञाप में कोई प्राविधान नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(डा0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्या–2709/ III(1)/09–94(अधि०)/06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. कर्नल (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार कौशिक, 66 भागीरथीपुरम जाखन,देहरादून।
6. आयुक्त गढवाल/कुमॉयू, पौड़ी/नैनीताल।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव